

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... 3 परसोस मुकाम..... काटा

..... बनाम 2 महिदा 312/21

किस्म मुकदमा..... L.R Act 136 नं. 84 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
15/9/25	<p>राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 16/9/25 को पेश हो।</p>	
16/9/25	<p>पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम जालखेड़ा के खाता संख्या 7 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 791 दिनांक 13.05.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम साहिब अंसारी पुत्र शकील मोहम्मद जाति मुसलमान दर्ज हुआ। जबकि साहिब अंसारी पुत्र शकील मोहम्मद जाति मुसलमान हिस्सा 12/77 की एक प्रविष्टी पूर्व में भी दर्ज थी। उक्त नामान्तरण द्वारा साहिब अंसारी पुत्र शकिल मोहम्मद जाति मुसलमान की 2 बार प्रविष्टी दर्ज हुई। जिसे दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202503123105767 दिनांक 13.05.2025 से क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें।</p> <p>पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ग्राम जालखेड़ा के खाता संख्या 7 पर स्वतः नामा0 सं0 791 दिनांक 13.05.2025 बेचान (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202503123105767 दिनांक 13.05.2025) से क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई है उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्यूटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम जालखेड़ा के खाता संख्या 07 में साहिब अंसारी पुत्र शकिल मोहम्मद जाति मुसलमान की दोहरी प्रविष्टि को एक दर्ज किया जावें।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 16/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

को. 1

